राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (979) / 2018 / दिनांकः–

आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में पंजीबद्ध अपील संख्या 272 / 2018 द्वारा श्रीमती सुमन टांक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 की पालना में अपीलार्थिया श्रीमती सुमन टांक ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 24.08.2018 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में स्वयं की एक ही किडनी होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने का उल्लेख किया है। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 का मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–.

" अपीलार्थी अपनी किडनी की गंभीर बीमारी के तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन दिनांक 24.08.2018 तक प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दिनांक 10.09.2018 तक इसका सम्यक रूप से अपीलार्थी को सूचित करते हुए निस्तारण करे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन निस्तारित होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य आदेश दिनांक 12.07.2018 स्थगित रहेगा। अपीलार्थी द्वारा यदि निर्धारित अवधि में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा। "

प्रकरण श्रीमती सुमन टांक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सिटी डिस्पेन्सरी नं0 04, विवेकनगर, बीकानेर का स्थानान्तरण निदेशालय के आदेश क्रमांक 642 दिनांक 12.07.2018 (क्रम संख्या 450 पर अंकित) द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, हुसंगसर, बीकानेर किये जाने से संबंधित है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थिया ने माननीय अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 272 / 2018 दायर की है।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं कार्मिका के अभ्यावेदन पर विचार किये जाने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रार्थिया को किडनी की गम्भीर बीमारी होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहता है जिसके कारण प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं उसका पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न0 07 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर करते हुए इस अभ्यावेदन का एतद् द्वारा निस्तारण करता हूं।

Sd-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (979) / 2018 / 2081 दिनांकः– 8/10/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नं0 04 / 07, बीकानेर।
4. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर